

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या : 11/वि1-50/2013

पटना, दिनांक : अगस्त, 2015

एतद् द्वारा अधिसूचित नियुक्ति नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में विहित प्रावधान के आलोक में चतुर्थ चरण अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु तृतीय संव्यवहार की तिथि निर्धारित की गयी थी। अधिसूचित नियुक्ति नियमावली, 2014 के आलोक में तृतीय संव्यवहार के उपरांत कैम्प के माध्यम से निम्नांकित कार्यक्रम अनुसार नियोजन की प्रक्रिया संपन्न की जायेगी :-

(i)	नियोजन इकाई द्वारा काउंसिलिंग के उपरान्त नियोजन पत्र निर्गत करना - नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत	22.08.2015
	जिला परिषद्	24.08.2015

- विभागीय पत्रांक 1551 दिनांक 14.08.15 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में पुस्तकालयाध्यक्ष के नियोजन हेतु जैसे नियोजन इकाई जिसमें पूर्व में निर्धारित तिथि को नियोजन नहीं किया गया है, मे उक्त तिथियों को नियोजन की कार्रवाई संपन्न की जायेगी।
- उच्च माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत कम्प्यूटर शिक्षक एवं संगीत शिक्षकों का नियोजन उपरोक्त तिथि अनुसार की जायेगी। उच्च माध्यमिक शिक्षा अंतर्गत कम्प्यूटर शिक्षक को अतिरिक्त 05 अंक एवं संगीत शिक्षकों के उपाधि के संबंध में विस्तृत निदेश विभागीय पत्रांक 1549 दिनांक 14.08.2015 द्वारा दिया गया है।
- एतद् द्वारा हितबद्ध अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार नियोजन की प्रक्रिया में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे।
- जैसे नियोजन इकाई जिसमें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की द्वितीय एवं तृतीय काउन्सलिंग नहीं हुआ है, उसके नियोजन इकाई के लिए वर्तमान तालिका में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय काउन्सलिंग होगा।
- प्रकाशित विज्ञप्ति के विरुद्ध जिस नियोजन इकाई में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की चतुर्थ संव्यवहार की प्रक्रिया संपन्न हो जायेगी, जैसे नियोजन इकाई में नियोजन की प्रक्रिया बंद हो जायेगी।
- पूर्व में विज्ञापित नियोजन संबंधी अन्य सूचनाएँ यथावत् रहेंगी।
- नियोजन इकाई द्वारा सूचना का प्रकाशन संबंधित जिले के NIC के बेवसाइट पर किया जाना अनिवार्य है। नियोजन से संबंधित नियमावली, विस्तृत निदेश एवं प्रपत्र आदि विभागीय वेब-साईट www.educationbihar.gov.in पर देखा या डाउनलोड किया जा सकता है।

(के०वी०एन०सिंह)

निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)